3 दिन और शेष इसके बाद जमा करने पर 18 प्रतिशत अधिभार रू.1000 पेनल्टी से बचने के लिए भारी उत्साह लगेगा

भिलाईनगर। भिलाई निगम क्षेत्र के करदाताओ को बिना अधिभार एवं पेनल्टी के के टैक्स पटाने 3 दिन शेष है। 3 दिन पश्चात सभी करदाताओं को वर्ष 2024–25 का संपत्तिकर जमा करने पर संपत्तिकर राशि पर 18 प्रतिशत अधिभार एवं 1000 रूपये पेनल्टी की राशि जमा करना पड़ेगा। संपत्तिकर, भूभाटक भूपटक जल कर जमा करने के लिए लोग में भारी उत्साह है। नगर निगम में भी उनके बैठने के लिए उनको पानी पीने के लिए उनके सहयोग के लिए सब व्यवस्था की गई है। सबके लिए अभी अच्छा अवसर है, संपत्तिकर जमा करने अधिभार एवं पेनल्टी से बचने का। नगर निगम भिलाई में नागरिको की सुविधा के लिए मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में संपत्तिकर जमा करने के लिए काउंटर खुले हुए है। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियो को बैठाया गया है। जो स्वः विवरणीय भरने में सहयोग कर रहे है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुंक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी संपत्तिकर दाताओ से अनुरोध किये है कि शीध्र से शीध्र अपना बकाया संपत्तिकर की राशि निगम कोष में जमा कर एक आदर्श नागरिक बने। संपत्तिकर के माध्यम से ही नगर निगम भिलाई जनता से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती है। गौरतलब है कि 31 मार्च के पूर्व नागरिक अपने आवासीय, व्यावसायिक भवनों के संपत्तिकर सहित निगम के अन्य देय कर राशि को जमा करके 1 अप्रेल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार तथा 1000 हजार रूपये पेनल्टी शुल्क की राशि से बच सकते है। नागरिको के सुविधा के लिए घर बैठे–बैठे आनलाईन संपत्तिकर जमा करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। आनलाईन https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ में संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा, जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है। अवकाश के दिनों में भी नगर निगम के मुख्य कार्यालय जोन कार्यालय में आकर के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं खुला रहेगा।